

Working Comm/ Audit Comm/ Summary

Am 8/7/20

129
6-7-2020

Form-II
(for projects other than linear projects)
Office of the District Collector, Kangra at Dharmshala.


No. 1416 /DRA Dated: 27-06-2020

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Govt. of India's letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes in respect of other than linear projects, it is certified that 02-96-96 hectares in Up-mohal Dharamshala of forest land proposed to be diverted in favour of Urban Development Deptt. for construction of Solid Waste Management Plant, Dharamshala, Tehsil Dharamshala of Kangra District falls within jurisdiction of Dharamshala Municipal Corporation/Gram Sabha in Tehsil Dharamshala, Distt Kangra.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 02-96-96 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee, Dharamshala Municipal Corporation, Sub Divisional Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexures.
- (b) The proposal for such diversion (with full detail of the project and its implications, in vernacular/local) have been placed before the concerned Gram Sabha/Municipal Council.
- (c) The Dharamshala Municipal Corporation has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Dharamshala Municipal Corporation is enclosed as annexure.
- (d) The discussion and decisions on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha/ Municipal Corporation present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Govt. as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha/Municipal Council have been their consent to it.
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA (Not applicable).


District Collector
Kangra at Dharamshala

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT KANGRA (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Disstrict Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights)Act (FRA), 2006.

A meeting of the Disstrict Level Committee of Kangra District, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Shri Rakesh Kumar Prajapati, I.A.S, Deputy commissioner, Kangra on 24-06-2020 at 04.00 PM at Dharamshala in which the applications of the applicants of Dharamshala Municipal Corporation, claiming rights in **02-96-96 Hectares** forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee, Dharamshala, were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and hence admitted :-

<u>S.No</u>	<u>Name of Applicant*</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Details of forest right</u>
			<u>No claim filed by anyone</u>


Claims of following applicants were not found in order and hence rejected :- (Not applicable)

<u>S.No</u>	<u>Name of Applicant*</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Details of forest right</u>
			OR

As informed by SDO (Civil) Dharamshala, no application was received from Dharamshala Municipal Corporation claiming rights in **02-96-96 Hectares** forest area.

Place : Dharamshala

No : 1417 /DRA Dated : 27-06-2020



Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Forest Rights Committee

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

**Office of the SDO (Civil) Dharamshala
District Kangra (H.P.)**

**Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted
under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition
of Rights), Act (FRA), 2006**

A meeting of the Sub-Division level Committee of Dharamshala Sub Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/ Chairpersonship of Sh. Harish Gajju, SDO (Civil) Dharamshala on 22/02/2020 at 11.30 AM at the office of SDO (Civil) Dharamshala in which the application(s) of the applicants of Dharamshala Municipal Corporation/Gram Sabha, claiming rights in 29696-13 Sq. Mts. forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Dharamshala Municipal Corporation/Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee:-

Sr. No.	Name of the applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1.			Nil
2.			

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-


Sr. No.	Name of the applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1.			Nil
2.			

OR

As informed by Dharamshala Municipal Corporation /Gram Sabha, no application was received claiming rights in 29696-13 Sq. Mts forest area.

Place : Dharamshala.

Date : 22-02-2020


**SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson
Sub-Division Dharamshala**

पुरुषों की जनजाति और अन्य परम्परागत दृष्टि निवासी (दृष्टि इतिहासों की सांस्कृतिक अवधियां)

ପ୍ରକାଶକ ଅଧିକାରୀ

ग्राम सभा ०४

प्राचीन चित्र

01

22/12/19

二〇四〇

* पात्र याव वारी का ताप

जगत का जीव

每课时练习题和答案

“विभिन्न राज्य उन अधिकार समिति इन दाये, इन दायों को पारित दरवाजे ही नहीं रख सकते।

प्रतिवार्ष इस देश में विभिन्न लिंगायित पारंपरिक रूप से लियमानुसार सही गहरी विवाह विधि

पात्र यात्रा वारी का नाम

विद्यालय यात्रा समाप्ति इस दाये/इन दायों को निराकार करने की

1997-1
1997-2

Digitized by srujanika@gmail.com

४०

* प्रायोगिक/प्राय. वर्गों के लिए जिन्होंने इस बनाई गई वर्गीकरण में अपनी वर्गीकरण की अपेक्षा अधिक वर्गीकरण की अपेक्षा की है।

प्राचीन विद्यालय का नाम विद्यालय विद्या वर्ष (विद्यार्थी) विद्यालय विद्या वर्ष विद्यालय

अनुमूलित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम समा. १५८०६
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या ०२

दिनांक २२/१२/१९

ग्राम समा. १५८०६ की बेठक आज दिनांक २२/१२/१९ को २:०० बजे, स्थान मानवानुसार संस्कृत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) की अधिकारों की अनुमूलित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत दस्तावेजों के लिए दावे हेतु इस ग्राम समा की वन अधिकार समिति का गृहि के उपयोग को मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम समा की वन अधिकार समिति का विभाग द्वारा शिकायित के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासीयों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रत्युत्त दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम समा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया।

क०स० * पात्र ग्राम वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का व्यौरा

1 2

तदानुसार यह ग्राम समा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है। उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क०स० * पात्र ग्राम वासी का नाम

1 2

तदानुसार ग्राम समा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम समा की वन अधिकार समिति से ग्राम सूचना के अनुसार अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान १५८०६
दिनांक

अधीकृत हस्ताक्षरकारी
ग्राम समा. १५८०६

प्राप्ति दस्तावेज़ संजोनी
१५८०६

* ग्रामवासी/ ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/ जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Annexure-II

जनसंख्या जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2005

याम सभा ६
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 22/12/19

प्रस्ताव भरणा ४(Ad)

प्राप्त दिन २०१० वार्षिक की बैठक आज दिनांक २२/१२/१९ को २०१० वर्ष के दूसरे वार्षिक बैठक को दिनांक २२/१२/१९ की अध्यक्षता की गई। अधिकारी श्रीमति लालानन्द कार गाव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन नियमों (वन धर्मियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन नियमों के विवरण के लिए २०१० वर्ष की विवाह दिनांक २२/१२/१९ विभाग द्वारा दिनांक २२/१२/१९ की अधिकारी के उपरान्त प्राप्त हुए गाव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। अन्य अधिकारी के प्रस्तावों के प्रस्तुत दरतावेशों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त डस ग्राम नमा दारा नियम लिया गया। दावा नियमानुसार सही पाया गया।

* पात्र ग्राम वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का

लदानुकूलर यह ग्राम रामा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप राष्ट्र स्तर की अभियानों को प्रेषित करते हैं।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

300

* पात्र याम वासी का नाम

1

तदानन्दार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निररत करती है।

३५

इस गाम रामा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार अधिकृत का दावा प्राप्त नहीं हआ।

स्थान सिंहपुरा

卷之三

* भाष्यकारी/भाषा वासीयों के नाम जिन्होंने इस बन क्षेत्र/जगत में बन अधिकार के दाता दाती रूप से विद्या दी है।

** शोर्जेट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (सरकार) अधिकारीय 1930 में अनुदान दे दिया गया था।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा का० २११०१ नं० १२ नं० १३
विकास खण्ड जिला का० २५४७ (हिंप्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक ३०।१२।१९

प्रस्ताव संख्या २४(८) वा

गणपूति

विषय प्रभेश्वाला नागर निवास विभाग/संस्था का कुड़ा बांडा
के निर्माण हेतु का० २५४७ नं० १३ जगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित कुड़ा बांडा हैक्टेयर वन भूमि
उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु। २।९६

ग्राम सभा का० २११०१ नं० १२ निवास की बैठक आज दिनांक
३०।१२।१९ को १।०० बजे स्थान का० २५४७ प्रभेश्वाला नागर निवास की गई, जिसमें प्रभेश्वाला नागर निवास के विभाग/संस्था का कुड़ा बांडा जगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
के निर्माण हेतु कुड़ा बांडा प्रभेश्वाला नागर निवास के निर्माण हेतु कुड़ा बांडा हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई। २।९६

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व संमति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने का सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति के साथ यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बंधित ग्राम प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित २।९६ हैक्टेयर वन भूमि का कुड़ा बांडा नागर निवास हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा का० २५४७ नं० १३ दिनांक

सहमति दी जाती है।

स्थान का० २५४७

दिनांक

अधिकृत प्रस्तावकर्ता
ग्राम सभा

Mayor
Municipal Corporation
Dharamshala

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा प्रैराम्पुर, वन निवासी
विकास खण्ड कालाडी (हिंगो)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 30/12/19

गणपति

प्रस्ताव संख्या 248) IX

विषय: प्रैराम्पुर वन निवासी विभाग/संस्था को कुड़ा २०-२१
के निर्माण हेतु उपभोक्ता विभाग २०१२-१३
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित २.९६ हैवटेयर वन भूमि
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा प्रैराम्पुर, वन निवासी
की गई जिसमें प्रैराम्पुर वन निवासी विभाग/संस्था को कुड़ा १०-११
के निर्माण हेतु उपभोक्ता विभाग २०१२-१३ हैवटेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने का सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सभी सम्मति यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बंधित सार्व प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित २.९६ हैवटेयर वन भूमि को कुड़ा २०-२१ सहमति दी जाती है।

राथान प्रैराम्पुर
दिनांक

अधीकृत प्रस्तावकरक
ग्राम सभा h.s.

Mayor
Municipal Corporation
Dharamshala

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा जिला (हिमाचल)
विकास क्षेत्र जिला (हिमाचल)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 20/12/19

प्रस्ताव संख्या ३५६/४

गणपूर्ति

विषय: ग्राम सभा को विभाग/संस्था को उमा राम
के निर्वाचन हैतु ३५६/४/१२/१९ दिनांक २०/१२/१९
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित २०६ वन भूमि के लिए सहमति प्रदान करने होते।
उपर्योग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने होते।

ग्राम सभा ३०/१२/१९ को ११ अक्टूबर २०१९ को विभाग/संस्था को उमा राम
को गई जिसमें ग्राम सभा को विभाग/संस्था को ३५६/४/१२/१९ दिनांक
के निर्वाचन हैतु ३५६/४/१२/१९ दिनांक २०६ वन भूमि के लिए सहमति प्रदान करने पर धर्मा की गई।

सभी ग्रामीणों ने सुविधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हैतु उपर्योग के उद्देश्यों को पूरी तरह समर्जन
के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने का
सहमति है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों
मान्यता) अधिनियम, 2006 को अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी धर्मा की गई तथा सर्व सम्मति
यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सभी
प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित २०६ वन भूमि को उद्देश्य पर वन भूमि को
निर्माण हेतु उपर्योग के लिए ग्राम सभा ३५६/४/१२/१९ दिनांक २०६ वन भूमि को
सहमति दी जाती है।

स्थान ग्राम सभा
दिनांक

विधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

Mayor

Municipal Corporation
Dharamshala